आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 247/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इंडसइंड बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय– ग्राउण्ड फ्लोर, संगम टॉवर, चर्च रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स केपीएस इलेक्ट्रिक वाहन जरिये प्रोपराईटर,
2. श्रीमती खूशबू मोटवानी पत्नी स्व. श्री प्रदीप मोटवानी (सहऋणी एवं विधिक वारिस स्व. श्री प्रदीप मोटवानी),
3. संगीता मोटवानी पुत्री स्व. श्री प्रदीप मोटवानी विधिक वारिस स्व. श्री प्रदीप मोटवानी,
4. पलक मोटवानी पुत्री स्व. श्री प्रदीप मोटवानी विधिक वारिस स्व. श्री प्रदीप मोटवानी,

पताः– जे–118, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर।

एवं प्लॉट नं. 7, ग–10, सैक्टर 7, जवाहर नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री मनोहर मेडतिया, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 09.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी स्व. श्री प्रदीप मोटवानी जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्त्व की संपत्ति मकान नं. 7, ग–10, सेक्टर 7, जवाहर नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 136 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 16.01.2020 को राशि 90,00,000/– रूपये एवं दिनांक 24.07.2020 को राशि 10,00,000/– रूपये कुल राशि 01,00,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.08.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल सीमा 01,00,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण सीमा 99,18,060.88/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.08.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में उठाए गए आक्षेपों का निस्तारण संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा कर दिया गया है तत्पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एव 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी स्व. श्री प्रदीप मोटवानी जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्व की बंधक संपत्ति मकान नं. 7, ग–10, सेक्टर 7, जवाहर नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 135 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को पत्र का लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एव पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **09.03.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर